184

विदेश मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति

1284. श्री जगदम्बं: प्रसाद यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की गुपा करेंगे कि : -- -- --

- (वा) क्या यह सच है कि विदेश मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है और गत तीन वर्षों के दौराग इसकी कभी भी नियमानुसार चार बैठकें नहीं हुई हैं ग्रीर :
- (ख) क्या यह भी सच है भाषा के प्रचार, विकास ग्रीर प्रयोग लिये टेलीप्रिन्टर, टेलेक्स, कम्प्यूटर इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों, भारि श्रावण्यक यंत्रों, की इस मंत्रालय क्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण राजभाषा के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों से पूरे नहीं हो सके हैं भीर यदि हां , तो कार्य को पूरा करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

बिदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के॰ **प्रार**ं नारायगान (क) इस मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति कीउप समिति के स्थान पर हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है। गठन-संबंधी स्रोपचारिकताएं पूरी होते ही उसका संकल्प जारी कर दिया जायेगा । इसके बाद हिन्दी सलाहकार समिति की बलाई जायेगी।

(ख) इस मंत्रालय के मुख्यालय में श्रीर विदेश स्थित मिशनो/केन्द्रों में हिन्दी के संबर्धन के लिये ग्राधनिक प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्य की अवेक्साओं के ग्राधार पर विचार किया जायेगा।

12.00 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE Notification of the Ministry of Home Affairs publishing the Central Industrial Security Force (Second Amendment) Rules, 1985

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (SHRI ARUN NEHRU): Sir, I beg to lay on the Table under sub-section (3) of section 22 of the Central Industrial Security Force Act 1968, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs, Notification G. S. R. No. 789, dated the 24th August, 1985, publishing the Central Industrial security Force (Second Amendment) Rules, 1985.

Placed in Library. See No. LT-1544/85]

Notification of the Ministry of Finance under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. 1985

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Sir, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Notification of the Ministry of Finance (Department of Revanue), under section 77 to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985:—

- (i) S. O. No. 1825 (E), dated the 14th November, 1985, spacifying the small quantity under section 27 (1) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
- (ii) S. O. No. 826(E), dated the 14th November, 1985, declaring certain narcotic substances and preparation to be manufactured drugs under section 2 (xi) (b) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
- (iii) S. O. No. 827(E), dated the November, 1985, partially modifying Notification No. 825(E), dated the 14th November, 1985 and. specifying 'small quantity' in relation to certain narcotic drugs.
- (iv) G. S. R. No. 837 (E), dated the 14th November, 1985, publish-